(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक III/निगरानी/सतना/भू0रा0/2017/2518 विरूद्व आदेश दिनांक 14–07–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 84/अपील/2016–17

---

1. श्रीमती सुशीला बेवा गया प्रसाद ब्राम्हण
2. प्रभाकर प्रसाद पाण्डेय तनय स्व0 गया प्रसाद पाण्डेय
3. रावेन्द्र प्रसाद पाण्डेय तनय स्व0 गया प्रसाद पाण्डेय
4. आनन्द प्रसाद पाण्डेय तनय स्व0 गया प्रसाद पाण्डेय

सभी निवासी ग्राम सरिया तहसील रामनगर
जिला सतना म0प्र0

.....आवेदकगण

बनाम

शंकर प्रसाद पाण्डेय तनय स्व0 गया प्रसाद पाण्डेय
सभी निवासी ग्राम सरिया तहसील रामनगर
जिला सतना म0प्र0

.....अनावेदक

श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 1/11/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित दिनांक 14–07–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सरिया स्थित आराजी कमांक 514/1, 532, 1092/1, 1093/2, 1094, 1095, 1096, 798/1क, 1112/1341/1, 1115/1, 1241/1 कुल किता 11 रकवा 4.206 हे का

बटवारा नमांतरण हेतु आवेदकगण ने विचारण न्यायालय तहसीलदार रामनगर जिला सतना के समक्ष्ज्ञ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 67/अ–27/14–15 आदेश दिनांक 07–8–2015 से बटवारा नामांतरण आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी रामनगर जिला सतना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 13–10–2016 से अनावेदक की अपील खारिज की। अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने दिनांक 14–07–2017 को आदेश पारित कर अनावेदक की अपील स्वीकार की तथा विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्ष आपस में सगे रिस्तेदार हैं और प्रश्नाधीन आराजीयां पैत्रिक हैं जिसपर उभय पक्ष सहखातेदार दर्ज अभिलेख हैं। आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय में बटवारा नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने प्रकरण में विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कराया है। अनावेदक को विधिवत सूचना जारी की गई है। अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय में दिनांक 07–8–15 को आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी। आपत्ति का अध्ययन कर तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है। आपत्ति आवेदन में बटवारे पर कोई विधिक प्रश्न न होकर मां को गुजारे हेतु पेंशन एवं सीमांकन से संबंधित आपत्ति प्रस्तुत की गई। बटवारा पुल्ली के आधार पर किया गया है। बटवारा सभी पक्षों के हक एवं कब्जा को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। वस्तुतः उभय पक्षों के दरम्यान बटवारा मौके पर सहमति अनुसार किया जा चुका था तथा पटवारी द्वारा कब्जे एवं हक के आधार पर फर्द पुल्ली तैयार की गई थी। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश को अनुचित नहीं

कहा जा सकता। तहसीलदार द्वारा पारित वैधानिक बटवारा आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने भी अपने आदेश से की है, जो उचित प्रतीत होती है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त इन महत्वपूर्ण वैधानिक बिन्दुओं पर विचार न कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 14–7–2017 निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामनगर जिला सतना का आदेश दिनांक 07–8–2015 स्थिर रखा जाता है।

1/11/18

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर